न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दौलतपुरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 150 /2006 दायर दिनांक 27.12.2006

वादी		प्रतिवादीगण
1. कन्हैयालाल पुत्र स्व. किशनदास जाति स्वामी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) हाल निवासी जायल तहसील जायल जिला नागौर राज.	बनाम्	1. बद्रीदास पुत्र लालदास (फौत) 1/1 ओमप्रकाश पुत्र बद्रीदास 1/2 पुर्णमल पुत्र बद्रीदास 1/3 कमलादेवी पुत्री बद्रीदास 1/4 मुन्नीदेवी पुत्री बद्रीदास 1/5 कंचनदेवी पुत्री बद्रीदास 1/6 दुर्गादवी पुत्री बद्रीदास 1/7 बनारसीदेवीपुत्री बद्रीदास समस्त जाति स्वामी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 2. रामकुंवार पुत्र लालदास जाति स्वामी निवासी आडकाबास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 3. गोविन्दराम पुत्र लिछमणदास 4. रूगनीदेवी पत्नि लिछमणदास जाति स्वामी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 5. बशीरन पत्नि लियाकतअली 6. भूरी पत्नि मों. युसुफ 7. नूरजहाबानो पत्नि मो.युनुस समस्त जाति देशवाली निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 8. गोदावरी पत्नि रामकुंवारदास जाति स्वामी निवासी आडकाबास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 9. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा व बन्टवाडा खेत

हस्ब धारा 88, 188 53,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित–

1. वादी स्वयं उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण सं0 1/1 1/2 व 03,ता 07,स्वयं उपस्थित।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

–: निर्णय :–

दिनांक 12.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 07 रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा, खेत ख.न. 94 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 103 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा, खेत ख.न. 112 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा, कुल रकबा 71 बीघा 18 बिस्वा,स्थित है। नकल खतौनियाँ पेश है।

उक्त खेताय का बाहमी बन्टवारा सभी खातेदारान के बीच आपसी सहमती से दिनाकं 13.06.1967 को किया हुआ है।जिसकी लिखापढी दो प्रतियाँ में की हुई है।एक प्रति रामकुंवारदास के पास है।दुसरी प्रति गोविन्दराम के पास है।जो उनसे जरूरत पडने पर पेश करवाई जावेगी।बन्टवाडे की लिखित की छाया प्रति पेश हैं।बन्टवारा आपसी सहमति से किया जाकर अपने–अपने बन्ट की जमीन पर अलग–अलग काबिज है जो निम्न प्रकार है।

खेत ख. न. 07 रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा जिसमे से 1/2 हिस्सा आथूणा रामकुंवार के 1/2 हिस्सा अगुणा लालदास के रखा गया।

खेत ख. न. 94 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा व ख. न. 103 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा कुल रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा अगूणा किशनदास के व 1/2 हिस्सा आथूणा बद्रीदास के रखा गया।

खेत ख. न. 112 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा मे से 14 बीघा अगूणा लिछमणदास के व 04 बीघा 03 बिस्वा आथूणा हिस्सा लालदास के रखा गया है।

उक्त बन्टवाडे से वादी के बन्ट में खेत ख. न. 103 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा में से अगूणा 1/2 हिस्सा वादी के स्व. पिता किशनदास के व 1/2 हिस्सा आथूणा बद्रीदास के रखा गया।खेत ख. न. 112 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा मे से 14 बीघा अगूणा लिछमणदास के नाम रखा गया तथा इस खेत में से बकाया 04 बीघा 03 बिस्वा आथूणा हिस्सा लालदास के रखा गया है।लालदासजी आज से करीब 27–28 वर्ष पहले फौत हो गये तथा उनकी जोडायत (र्धमपत्नि) बिरदुडीदेवी भी फौत हो चुकी है।कुल जमीन में बराबर चार लड.को का हक है।और जमीन मौके पर बराबर – बराबर चार भागो में बन्टी हुई है।कुल जमीन का पुनः बन्टवारा करने का कोई औचित्य नही है। बन्टवारा दिनाकं 13.06.1967 को हो रखा है।बन्टवारे की लिखा पढी पर चारो भाईयों के हस्ताक्षर है।तथा स्व. लालदासजी के हस्ताक्षर है।

वादी के बन्ट में खेत ख. न. 103 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा में से 14 बीघा बन्ट आई हुई है।तथा ख. न. 07 रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा में से 04 बीघा भूमि बन्ट में आई हुई हैं। चारो भाईयो के निम्न प्रकार से बन्ट किया हुआ है।

किशनदास के वारिस वादी कन्हैयालाल के बन्ट की जमीन

खेत ख. न. 103 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा में से 14 बीघा अगूणी हिस्सा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

ख. न. 07 रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा में से 04 बीघा अगूणी दक्षिणी हिस्सा

बद्रीदास के बन्ट की जमीन
खेत ख. न. 103 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा में से 09 बीघा 01 बिस्वा आथूणी हिस्सा
खेत ख. न. 94 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण
ख. न. 07 रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा में से 04 बीघा अगूणी उतरादी हिस्सा

लिछमणदास के वारिसान गोविन्दराम व सुगनीदेवी के बन्ट की जमीन
खेत ख. न. 112 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा सम्पुर्ण

रामकुँवारदास के बन्ट की जमीन
खेत ख. न. 07 रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा में से 18 बीघा पश्चिमी भाग।

इस प्रकार मौके पर कुल जमीन के चार भाग किये हुए है।नजरी नक्शा पेश है जो वाद का भाग है।नजरी नक्शे में अलग–अलग रगं से प्रत्येक भाई के बन्ट में आई जमीन को दर्शाया गया है।

कि रामकुंवारदास व बद्रीदास ने खेत ख. न. 103 व ख. न. 94 में से 13 बीघा 10 बिस्वा जमीन दिनाकं 15.12.2006 को जरिये रजिस्ट्री बैचाण बशीरन, भूरी, व नूरजहाबानो प्रतिवादी संख्या 05 ता 07 को मौल बैच दी है।

ख. न. 07 में से बद्रीदास ने अपना हिस्सा रामकुंवारदास की पत्नि गोदावरी को जरिये रजिस्ट्री बैचाण दिनाकं 15.12.2006 को कर दिया है।

वादी के बन्ट की जमीन खेत ख. न. 103 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा में से 14 बीघा अगूणी तरफ की है। तथा ख. न. 07 रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा में से अगूणी दक्षिणी तरफ की 04 बीघा जमीन है।इस प्रकार कुल 18 बीघा जमीन वादी की है।वादी का पिता फौत हो चुका है।तथा माँ भी फौत हो चुकी है।वादी अकेला वारिस है।वादी व उसके पिता अपने बन्ट की जमीन पिछले 40 वर्षो से काश्त अकेला करता आ रहा है।खेत में पेड पौधे लगा कर खेत को उपजाउ बनाया गया है।तथा खाद वगैराह भी डाली है। खेत को उपयोगी व उपजाउ बनाया है। बन्टवारा नाप चौक कर किया हुआ है। तहसीलदारजी की सहमति नही ली। इसलिए खेत अलग–अलग नही हुए राजस्व रिकोर्ड में खेत सामलाती खातेदारी में दर्ज है। इसलिए वादी यह दावा घोषणा खातेदारी व बन्टवारा राजस्व रिकोर्ड में किया जाने हेतु यह दावा पेश है।

कि मामला अचल सम्पति का हैं। प्रतिवादी रामकुंवारदास व बद्रीदास की नियत साफ नही है।व प्रत्येक खसरा नम्बर में से अपना 1/4 हिस्सा बैचना/लेना चाहते हैं। ऐसा होने से वादी व दीगर भाई गोविन्दराम वगैराह को अजहद नुक्शान होगा।जिसकी क्षर्ति–पुर्ति नगदी से सम्भव नही होगीं। इसलिए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना जरूरी हुआ। दावा स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु दावा पेश है।

प्रार्थना वादी है कि

न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

कि मौजा दौलतपुरा की सरहद में स्थित खेत खेत ख. न. 103 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा में से अनूपी हिस्से की 14 बीघा व ख. न. 07 रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा में से 04 बीघा अनूपी दक्षिणी हिस्सा की जमीन वादी के बन्ट की व खातेदारी की घोषित की जावें। इसी माफिक राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाई जावे।

कि प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 को ख. न. 112 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा की सम्पुर्ण खातेदारी व बन्ट में दी जावें तथा इसी माफिक बद्रीदास व सन्तकुंवरदास की जमीन बन्टवारा दिनांक 13.06.1967 के अनुसार अलग–अलग घोषित की जावें।

कि अगर अदालत वाला कुल जमीन का पुन: बन्टवारा किया जाना उचित समझे तो वादी को साबिक बन्टवारे के अनुसार खेत ख. न. 103 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा में से अंनूपा हिस्सा 14 बीघा व ख. न. 07 रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा में से 04 बीघा अनूपी दक्षिणी हिस्सा बन्ट में दिलाया जावें इसी माफिक प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 04 गोविन्दराम व सुगनीदेवी को खेत ख. न. 112 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा सम्पुर्ण बन्ट में दिया जावें। इसी माफिक वादी का वाद डिक्री किया जावें।

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी फरमाई जावें कि वादी के बन्ट में आने वाली व प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 04 के बन्ट में आने वाली जमीन पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 व 05 ता 08 भविष्य में कभी दखल नही करे न अन्य से करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 11.01.2007 को प्रतिवादीगण संख्या 01 की और से वकील श्रीदानाराम भाटी व प्रतिवादी संख्या 02 व 08 की और से वकील श्री ओमप्रकाश मोट व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 की और से वकील श्रीकमाराम महला ने वकालातनामा पेश कियां व प्रतिवादी संख्या 05 ता 07 व 09 अनुपस्थित।

दिनाकं 05.03.2007 को प्रतिवादी संख्या 05 ता 07 व 09 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

दिनाकं 08.06.2007 प्रतिवादी संख्या 01 व 02 व 08 की ओर से जबाब दावा पेश हुआ। दिनाकं 07.12.2007 को प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 की ओर से ईकबाली जबाब पेश हुआ।प्रतिवादी संख्या 01 व 08 के जबाबदावा का जबाबुल जबाब पेश करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनाकं 28.08.2008 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी ने दिनाकं 24.12.2009 को जबाबुल जबाब पेश किया गया।

दिनाकं 21.02.2011 को वाद बिन्दू कायम किये जाकर विवेचना की गई। व पत्रावली वास्ते शहादत वादी हेतु नियत की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

वादी ने अपनी शहादत में Pw -01 वादी कन्हैयालाल व Pw -02 शकूर मोहम्मद व Pw -03 गोविन्दराम के बयान करायें गयें।

पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 01 बद्रीदास के वारिसान की तलबी में विचाराधिन हैं।पत्रावली आज केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दौलतपुरा में पेश हुई। वादी ने सशोधित शीर्षक पेश किया व प्रतिवादी संख्या 01 के एल. आर. प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 की ओर से ईकबाली जबाब पेश हुआ।व वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1/1, 1/2 व 03 ता 0.7 , ने दिनांक 12.06.2017 को कोर्ट केम्प ग्रम पंचायत दौलतपुरा में राजीनामा पेश किया। पक्षकारान् जरिये राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं।

वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1/1, 1/2 व 03 ता 07 द्वारा पेश किये गये राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकरान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 व 03 ता 07 की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया।प्रतिवादी संख्या 02 व 08 अनुपस्थित है।

बहस मजमे आम व मौतबीरान कोर्ट केम्प ग्रम पंचायत दौलतपुरा में वादी व प्रतिवादी 1/1, 1/2 व 03 ता 07 की सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।वादी का तर्क रहा है कि प्रतिवादी संख्या 02 रामकुंवार स्वय ने दिनाकं 15.12.2006 को जरिये रजिस्ट्री बैचाण बशीरन, भूरी, व नूरजहाबानो को खेतो में अपना 1/4 हिस्सा मान कर बैचाण किया है।इसलिए प्रतिवादी संख्या 02 अब वादी के दादी बिरदुडीदेवी द्वारा वसियत दिनाकं 08.06.1982 के आधार पर बन्टवारा नही करा सकता।क्योकि वादी के दादा लालदास जब फौत हुए तब तक लालदास के हिस्से की जमीन की कोई वसियत नही हुई न ही लालदास ने अपने जीवनकाल में कोई वसियत की है।वादी के दादा लालदास के फौत होने पर सम्पुर्ण जमीन का म्युटेशन लालदास के चारो पुत्र किसनदास, बद्रीदास, लिछमणदास व रामकुंवार के नाम दर्ज हो गईं।उस वक्त वादी की दादी बिरदुडीदवी के नाम म्युटेशन दर्ज नही हुआ।न ही बिरदुडीदेवी ने अपने जीवनकाल में लालदास की जमीन में म्युटेशन दर्ज कराने बाबत कोई कार्यवाही की है।इसलिए जब खेतो की खातेदारी वादी की दादी बिरदुडीदेवी के नाम ही दर्ज नही थी तो वसियत गणेशप्रसाद पुत्र रामकुंवार के पक्ष में कराने व करने का अधिकार बिरदुडीदेवी को नही था। न ही उक्त वसियत का आज तक म्युटेशन हुआ है।न गणेशप्रसाद ने आज तक वसियत बाबत कोई घोषणा का दावा पेश किया है।न प्रतिवादी संख्या 02 रामकुंवार का पुत्र गणेशप्रसाद ने इस वाद में पक्षकार बनने का प्रार्थना–पत्र पेश किया है।इसलिए उक्त वसियत कानून की रूह मे अर्थहीन अर्थात प्रभावहीन हैं।खेतो की खातेदारी में प्रत्येक भाई का 1/4–1/4 हिस्सा है तथा राजीनामा के अनुसार खेतो पर काश्त कर रहे है।तथा अपने बन्ट व काश्त जमीन के अनुसार अपने खेतो की खातेदारी अलग–अलग करवाना चाहते है।प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा की गई बैचाण

न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

रजिस्ट्री दिनाकं 15.12.2006 से बखुबी साबित होता है कि स्व. लालदास के प्रत्येक पुत्र किसनदास, बद्रीदास, लिछमणदास व रामकुंवार का 1/4–1/4 हिस्सा है व खातेदारी में भी 1/4 हिस्सा दर्ज है।

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, कि मौजा दौलतपुरा की शरहद में स्थित खेत ख. न. 103 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा में से अगूणी हिस्से की 13 बीघा 16 बिस्वा व ख. न. 07 रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा में से 04 बीघा 02 बिस्वा अगूणी दक्षिणी हिस्सा की जमीन वादी के व खेत ख. न. 112 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा सम्पुर्ण खसरा प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 के बन्ट की व खातेदारी की घाषित की जाती है। मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 07 रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा, खेत ख.न. 94 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 103 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा, खेत ख.न. 112 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा, कुल रकबा 71 बीघा 18 बिस्वा का बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से राजीनामा व राजीनामा के साथ पेश नजरी नक्शा अनुसुची „क„ के अनुसार कर वादी का वाद जरिये राजीनामा डिक्री किया जाता है। राजीनामा, व नजरी नक्शा अनुसुची „क„ निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर डीडवाना
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **12.06.2017** को सरे आम कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत दौलतपुरा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर डीडवाना
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत दौलतपुरा

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 150 / 2006 दायर दिनांक 27.12.2006

वादी		प्रतिवादीगण
1. कन्हैयालाल पुत्र स्व. किशनदास जाति स्वामी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) हाल निवासी जायल तहसील जायल जिला नागौर राज.	बनाम्	1. बद्रीदास पुत्र लालदास (फौत) 1/1 ओमप्रकाश पुत्र बद्रीदास 1/2 पुर्णमल पुत्र बद्रीदास 1/3 कमलादेवी पुत्री बद्रीदास 1/4 मुन्नीदेवी पुत्री बद्रीदास 1/5 कंचनदेवी पुत्री बद्रीदास 1/6 दुर्गादवी पुत्री बद्रीदास 1/7 बनारसीदेवीपुत्री बद्रीदास समस्त जाति स्वामी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 2. रामकुंवार पुत्र लालदास जाति स्वामी निवासी आडकाबास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 3. गोविन्दराम पुत्र लिछमणदास 4. सूगनीदेवी पत्नि लिछमणदास जाति स्वामी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 5. बशीरन पत्नि लियाकतअली 6. भूरी पत्नि मों. युसुफ 7. नूरजहाबानो पत्नि मो.युनुस समस्त जाति देशवाली निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 8. गोदावरी पत्नि रामकुंवारदास जाति स्वामी निवासी आडकाबास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 9. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा व बन्टवाडा खेत

हस्ब धारा 88, 188 53,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 12.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई वादी स्वयं व प्रतिवादीगण सं0 1/1 1/2 व 03,ता 07,स्वयं *उपस्थित की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–*

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, कि मौजा दौलतपुरा की शरहद में स्थित खेत ख. न. 07 रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा में से अगूणी हिस्से की 13 बीघा 16 बिस्वा व ख. न. 103 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा में से अगूणी हिस्से की 13 बीघा 16 बिस्वा व ख. न. 07 रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा में से 04 बीघा 02 बिस्वा अगूणी दक्षिणी हिस्सा की जमीन वादी के . व खेत ख. न. 112 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा सम्पुर्ण खसरा प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 के बन्ट की व खातेदारी की घाषित की जाती है। मौजा दौलतपुरा की शहरद मे खेत ख.न. 07 रकबा 26 बीघा 04 बिस्वा, खेत ख. न. 94 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, खेत ख.न. 103 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा, खेत ख.न. 112 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा, कुल रकबा 71 बीघा 18 बिस्वा का बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से राजीनामा व राजीनामा के साथ पेश नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, के अनुसार कर वादी का वाद जरिये राजीनामा डिक्री किया जाता है। राजीनामा, व नजरी नक्शा अनुसुची ,,क,, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

इसी अनुरुप पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज.........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत....................–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 12. 06..2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—150—2006 / रीडर / 2017 / 654 दिनांक 30/6/17

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा व बन्टवाडा खेत

हस्ब धारा 88, 188 53,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी		प्रतिवादीगण
1. कन्हैयालाल पुत्र स्व. किशनदास जाति स्वामी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) हाल निवासी जायल तहसील जायल जिला नागौर राज.	बनाम्	1 बद्रीदास पुत्रलालदास वगैराह

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर * डीडवाना *

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner